न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
उपस्थितः—सतेन्द्र कुमार (उच्चतर न्यायिक सेवा)

UPSP010071002025

<u>दाण्डिक निगरानी संख्या—201/2025</u>

श्रीमति उमा रानी पत्नि कमल प्रसाद पुत्री श्री रतिराम हाल निवासी मकान नम्बर—डी.—37 गोपाल नगर, नुमाईश कैम्प, थाना कोतवाली नगर, जिला सहारनपुर।

—निगरानीकर्ता/प्रार्थिनी

बनाम

1— सरकार उत्तर प्रदेश।

2— श्रीमति प्रिया पत्नि शुभम गर्ग पुत्री सुमन्त कुमार निवासी 447ए खुडखुडा निकट ऋषि आश्रम, थाना खुडखुडा देहरादून हाल निवासी एम—22 नेहरूपुरम एम0डी0डी0ए0 फ्लैट कॉलोनी कांवली रोड थाना नेहरूपुरम देहरादून उत्तराखंड। हाल कार्यरत कार्यकत्री पद (बाल विकास परियोजना विभाग) जिला कार्यक्रम अधिकारी देहरादून कार्यरत वाल्मीकि बस्ती खुडखुडा मौहल्ला शहर देहरादून, जिला देहरादून उत्तराखण्ड।

3— जनेश्वर दास आर्य पुत्र नामालूम निवासी—1107 पुरूषार्थ कालोनी सर्कुलर रोड थाना सिविल लाईन मुजफ्फरनगर यू0पी0।

4— श्रीमति विमला देवी पत्नि रणजीत सिंह निवासी मिशन कम्पाउन्ड निकट गन्ना सोसायटी दफ्तर पिछला गेट रेलवे कॉलोनी के सामने थाना सदर बाजार, हाल निवासी 192/1 मौहल्ला लक्खीबाग थाना लक्खीबाग, देहरादून।

—उत्तरदाता/विपक्षीगण।

<u>निर्णय</u>

1. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी, निगरानीकर्ता **<u>श्रीमति उमा रानी</u>** की तरफ से परिवाद संख्या—1402/2024 श्रीमति उमा रानी बनाम श्रीमति प्रिया आदि अन्तर्गत धारा 420, 406, 506, 452, 352, 120बी. भा0दं0संहिता, थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर में पारित आदेश दिनांकित 28.02.2025 से क्षुब्ध होकर योजित किया गया है। <u>विवादित आदेश के माध्यम से विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय, सहारनपुर द्वारा निगरानीकर्ता/प्रार्थिनी द्वारा योजित परिवाद में केवल विपक्षीगण प्रिया व जनेश्वर को धारा—406 व 506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत अपराध के</u>

विचारण हेतु तलब किया है।

2– निगरानीकर्ता द्वारा संस्थित **निगरानी के आधार** निम्नव्त है कि:–

विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 28.02.2025 पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्यों के विरूद्ध है, जो पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य एवं कागजात का अवलोकन किये बिना विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। अवर न्यायालय ने पूर्ण रूप से न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया है एवं पत्रावली पर आये तथ्यो का विश्लेषण सही प्रकार से नहीं किया गया है। जिसमे संशोधन किया जाना आवश्यक है। अवर न्यायालय ने केवल धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत बयान का अवलोकन करते हुए अधूरा आदेश पारित किया है तथा पत्रावली पर उपलब्ध बयान 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन नहीं किया। अवर न्यायालय ने अपने आदेश में जमीन का विवाद लिखा है जबकि प्रार्थीया ने अपने दावे में छल कपट करके मकान के रूपये हड़पने का विवाद लिखा है तथा बयान 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता व दस्तावेजी साक्ष्य मे भी मकान के रूपये हड़पने का ही विवाद है। जिस कारण सम्पूर्ण धाराओ 420,452,352,120बी0 भा0दं0संहिता में भी तलब किया जाना आवश्यक था लेकिन अवर न्यायालय द्वारा केवल धारा 406,506 भा0दं0संहिता में तलब किया गया। प्रार्थीया ने अपने वाद पत्र मे तीन व्यक्तियो को विपक्षी बनाया था जिसमें विद्वान अवर न्यायालय ने श्रीमति प्रिया व जनेश्वर दास आर्य को ही धारा 406,506 भा0दं0संहिता में तलब किया है तथा अपने सम्पूर्ण आदेश मे श्रीमति बिमला विपक्षी संख्या 3 को तलब न किये जाने का कोई कारण नहीं लिखा है बिना किसी कारण के वाद मे विपक्षी सं० 3 को तलब करने से छोड़ दिया है जबकि कानूनन उसको भी वाद की सम्पूर्ण धाराओ 420,406,452,352,506,120बी0 भा0दं0संहिता में तलब किया जाना चाहिए था। विद्वान अवर न्यायालय ने धारा 420,452,352,120बी0 भा0दं0संहिता में अभियुक्तगण को तलब न किये जाने का कोई कारण अपने तलबी आदेश में नहीं लिखा है। विवादित आदेश दिनांकित 28.02.2025 तार्किक व न्यायसंगत न होने के कारण निगरानी स्वीकार कर वादपत्र में लिखित विपक्षी संख्या–3 श्रीमति बिमला देवी को भी अन्य अभियुक्तगण के साथ वादपत्र में लिखित सम्पूर्ण धाराओं अन्तर्गत धारा 420, 406, 452, 352, 506, 120बी0 भा0दं0संहिता में तलब किये जाने के आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी है।

3– उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा अवर न्यायालय की तलब शुदा मूल पत्रावली का प्रश्नगत आदेश के सन्दर्भ में परिशीलन किया।

4– विद्वान अवर न्यायालय की तलबिदा पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि निगरानीकर्ता/प्रार्थिनी श्रीमति उमा रानी द्वारा **परिवाद** अन्तर्गत धारा 420, 406,452,352,506,120बी0 भा0दं0संहिता, विपक्षीगण के विरूद्ध विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें अभिकथन किया गया कि:–

निगरानीकर्ता/ परिवादनी कुल 6 भाई बहन थे जिसमे रणजीत सिहं व अमर परिवादनी के दो भाई थे तथा चार बहने श्रीमति कमला, श्रीमति निर्मला, श्रीमति सीमा व परिवादनी श्रीमति उमा रानी है। परिवादनी के भाई अमर सिहं का उसकी पत्नि से विधिक तलाक हो गया था तथा उसके कोई सन्तान नहीं थी। अमर सिंह की मृत्यु के समय उसके मकान के एक भाग मे उमा देवी नामक महिला बतौर किरायेदार रहती थी। अमर सिंह ने उससे कभी भी शादी नहीं की। मुलजिमा भी अपनी मां उमा देवी के साथ ही बतौर किरायेदार रहती थी। उक्त उमा देवी व स्व0 सुमन्त कुमार के वैवाहिक जीवन के दौरान मुलजिमा–1 पहले ही पैदा हो चुकी थी मुलजिम संख्या 1 के पिता का नाम सुमन्त कुमार है, जबकि वह अपने को अमर सिंह की पुत्री बता रही है। उक्त उमा देवी ने यह बात न्यायालय में दाखिल अपने शपथपत्र में लिखकर दी है। परिवादिनी के भाई अमर सिंह की मृत्यु के बाद अमर सिंह के उक्त मकान/सम्पत्ति को हड़पने के उद्‌देश्य से उमा देवी ने किसी जनेश्वर दास नामक व्यक्ति से शादी कर ली तथा उमा देवी मुलजिम संख्या 1 की माता की मृत्यु भी वर्ष 2018 में हो चुकी है । मृतक अमर सिंह की सम्पत्ति जिसमे मकान, बैंक खाते, बैंक लॉकर का विवाद न्यायालय में चला। उमा देवी ने सिविल जज (सी0डी0) देहरादून में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु वाद संख्या 690/2003 श्रीमति उमा देवी बनाम रणजीत सिंह आदि दायर किया, जिसमे रणजीत सिहं व चारो बहनो व बैंक ऑफ बडोदा को पक्षकार बनाया गया। इसके अलावा रणजीत सिहं व परिवादनी उमा रानी ने उक्त उमा देवी के विरूद्ध किराया बेदखली का वाद संख्या 09/2014 न्यायालय लघुवाद न्यायाधीश देहरादून मे दायर किया। मुलजिमान ने परिवादनी के साथ छल कपट करते हुए न्यायालय से सही तथ्य छिपाते हुए अपने उक्त वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत पीठ संख्या 6 जिला न्यायालय देहरादून में एक षडयन्त्र के तहत दिनाक 11.12.2021 को एक पक्षीय रूप से परिवादनी को सुने बिना उसकी गैर मौजूदगी मे निस्तारण करा लिया। जिसमे परिवादनी की तीन बहनो व भाई रणजीत सिंह के वारिसान के साथ समझौता करके उनको मकान उक्त का रूपया मुलजिम संख्या 1 ने दे दिया। परिवादनी को उसके हिस्से का रूपया नहीं दिया गया है। परिवादनी का मुलजिमान की ओर दस

लाख रूपया बैठता है तथा बैंक में तथा लॉकर मे जमा धनराशि व जेवरात मे अलग से हिस्सा बैठता है जिसको मुलजिमान देने से मना कर रहे है। परिवादनी ने इस सम्बन्ध मे मुलजिम संख्या–1 को दिनांक 30.08.2022 को दस लाख रूपये का डिमान्ड नोटिस अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिया था जिसका मुलजिम संख्या 1 ने न तो कोई जवाब दिया तथा न ही कोई रूपया दिया तथा परिवादिनी ने हाल ही में दिनांक 29.04.2024 को एक प्रार्थना पत्र थानाध्यक्ष महिला थाना सहारनपुर एवं श्रीमान एस0एस0पी0 सहारनपुर को रजिस्टरी किया था, जिसमे दिनांक 04.05.2024 को मुलजिमान थाने में हाजिर आये तथा महिला थाने मे ही आपसी समझोते की बात हुई लेकिन मुलजिमान ने पूरा रूपया देने से मना कर दिया, केवल चार लाख रूपये देने की बात कही। उसके बाद मुलजिमान एक राय होकर शाम को करीब 5:00 बजे परिवादनी के घर पर पहुँचे। घर के अन्दर बैठकर बात करने लगे। जब परिवादनी ने अपने हिस्से के मकान के दस लाख रूपये मांगे तो घर के अन्दर ही परिवादनी पर हमलावर हुए। मुलजिमान ने यह कहते हुए जान से मारने की धमकी दी कि यदि तुमने दोबारा से रूपयो के सम्बन्ध मे कोई कार्यवाही की तो तुझको व तेरे परिवार को जान से मार देगें। शोर होने पर गवाहान प्रदीप कुमार, नवनीश कुमार आदि मौके पर आये तथा घटना देखी व बीच बचाव कराया। घटना के बाद परिवादनी थाना कोतवाली नगर पर रिपोर्ट लिखाने गयी। लेकिन दिनांक 04.05.2024 से आज तक पुलिस द्वारा परिवादनी की रिपोर्ट नहीं की गयी इसलिए परिवादनी ने घटना के सम्बन्ध प्रार्थना पत्र टाईप कराकर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के यहां दिनांक 07.05.2024 को बजरिये रजिस्टरी डाक प्रेषित किया लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर परिवादी द्वारा यह परिवाद योजित किया गया।

विद्वान अवर न्यायालय द्वारा परिवादी/निगरानीकर्ता उमा रानी का बयान अन्र्तगत धारा 200 दं0प्र0सं0 तथा अन्र्तगत धारा 202 दं0प्र0सं0 पी0डब्लू0–1 प्रदीप कुमार व पी0डब्लू0–2 नवनीश कुमार का बयान लेखबद्व किया गया।

अवर न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त तथ्य एवं साक्ष्य के आधार पर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 28.02.2025 के माध्यम से निगरानीकर्ता/परिवादिनी द्वारा परिवादपत्र में किये गये कथनों के आधार पर विपक्षीगण **प्रिया** व **जनेश्वर** को **धारा 406, 506** भा0दं0सं0 के अपराध में विचारण हेतु तलब किया गया है। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर ही यह निगरानी योजित की गयी है।

6– निगरानीकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी में लिए गये आधारो को दोहराते हुए आलोच्य आदेश विधि विरूद्ध होने तथा निगरानी स्वीकार कर विपक्षी संख्या–3 श्रीमति बिमला देवी को भी अन्य अभियुक्तगण के साथ वादपत्र में लिखित सम्पूर्ण धाराओं अन्तर्गत धारा 420, 406, 452, 352, 506, 120बी0 भा0दं0संहिता में तलब करने की याचना की गयी है।

7– उपरोक्त के विरूद्ध विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश सही एवं विधि अनुसार साक्ष्य के अनुरूप होने, जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य किसी प्रकार का नहीं होने की याचना की गयी है।

8– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **अमित कपूर बनाम रमेश चन्दर तथा अन्य 2012(3) जे.आई.सी.–772(एस.सी)** में यह उल्लिखित किया गया है कि–

पुनरीक्षण न्यायालय का क्षेत्राधिकार एक सीमित क्षेत्राधिकार है और इसका प्रयोग नैत्यिक तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय को पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग उन परिस्थितियों एवं मामलों में करना चाहिए जहॉ पर–

1. जिस निर्णय/आदेश को चुनौती दी है, वह बिल्कुल विधि के विपरीत है,

2.विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है और

3.बिना किसी साक्ष्य के निष्कर्ष दिए गए है,

4.तात्विक साक्ष्य को अनदेखा किया गया है तथा

5.न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग मनमाने तरीके से या तर्को के विरूद्ध किया गया है।

उपरोक्त निर्णय विधि के प्रकाश में न्यायालय को यह देखना है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधि सम्मत है अथवा नहीं ?

9– निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मुख्य रूप से यह तर्क किया गया है कि तलबी के स्तर पर विद्वान अवर न्यायालय को पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मात्र प्रथम दृष्टया मामला ही देखना था। विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सभी विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला धारा 420, 406, 452, 352, 506, 120बी0 बनना परिलक्षित है

परन्तु इसके बावजूद भी विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उक्त साक्ष्य को अनदेखा करते हुए विपक्षीगण श्रीमति प्रिया व जनेश्वर दास आर्य को ही धारा 406, 506 भा0दं0सं0 में तलब किया है तथा विपक्षी संख्या–3 श्रीमति बिमला को तलब न किये जाने का कोई कारण नहीं लिख कर विधिक त्रुटि कारित की गयी है।

10– विपक्षी/राज्य की ओर से उपरोक्त बहस का विरोध किया गया और यह बहस की गई है कि आलोच्य आदेश दिनांकित 28.02.2025 पूर्णतया विधि सम्मत है, जिसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

11– उक्त सन्दर्भ में अवर न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि विद्वान अवर न्यायालय में परिवादिनी द्वारा परिवाद के समर्थन में स्वयं को अन्तर्गत धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता में परीक्षित कराया गया तथा धारा 202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत पी0डब्लू0–1 प्रदीप कुमार एवं पी0डब्लू0–2 नवनीश कुमार को परीक्षित कराया गया है।

परिवादिनी उमा रानी द्वारा अपने बयान धारा 200 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत जमीन की सम्पत्ति के सम्बन्ध में उसके व अभियुक्तगण के बीच रंजिश होने एवं दिनांक 04.05.2024 को शाम 05:00 बजे अभियुक्तगण जनेश्वर, बिमला व प्रिया के परिवादिनी के घर आने तथा सिविल वाद में हुई सुलह के अनुसार दस लाख रूपये में से कोई पैसा परिवादिनी को नहीं देने तथा उसे जान से मारने की धमकी देने का कथन किया है।

पी0डब्लू0–1 प्रदीप कुमार ने अपने बयान में परिवादपत्र में किये गये कथनों का समर्थन करते हुए दिनांक 04.05.2024 को अभियुक्तगण श्रीमति प्रिया, जनेश्वर दास एवं श्रीमति बिमला द्वारा शाम 05:00 बजे परिवादिनी के घर में आने, परिवादिनी द्वारा अपने दस लाख रूपये मांगने पर परिवादिनी को जान से मारने की धमकी देने का कथन किया गया है।

पी0डब्लू0–2 नवनीश कुमार ने भी अपने बयान में परिवादपत्र में किये गये कथनों का समर्थन करते हुए दिनांक 04.05.2024 को अभियुक्तगण श्रीमति प्रिया, जनेश्वर दास एवं श्रीमति बिमला द्वारा शाम 05:00 बजे परिवादिनी के घर में आने, परिवादिनी द्वारा अपने दस लाख रूपये मांगने पर परिवादिनी को जान से मारने की धमकी देने का कथन किया गया है।

12– अवर न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त तथ्य एवं साक्ष्य के आधार पर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा परिवादी व विपक्षीगण के मध्य जमीन को

लेकर हुए विवाद में सिविल न्यायालय में हुई सुलह के अनुसार विपक्षीगण द्वारा परिवादी को दस लाख रूपये दिया जाना तैय होना पाते हुए एवं विपक्षीगण द्वारा परिवादी को कोई धनराशि अदा नहीं किये जाने के दृष्टिगत आदेश दिनांकित 28.02.2025 के माध्यम से निगरानीकर्ता/परिवादिनी के परिवादपत्र में किये गये कथनों एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण **प्रिया** व **जनेश्वर** को धारा **406, 506** भा0दं0सं0 के अपराध में विचारण हेतु तलब किया गया है। विपक्षी **श्रीमति बिमला देवी** को अवर न्यायालय द्वारा उपरोक्त परिवाद में तलब नहीं किया गया है जबकि परिवादिनी ने अपने परिवादपत्र में अभियुक्तगण श्रीमति प्रिया एवं जनेश्वर के साथ–साथ श्रीमति बिमला देवी द्वारा दिनांक 04.05.2024 को शाम को करीब 05:00 बजे परिवादिनी के घर में आने तथा परिवादिनी द्वारा अपने हिस्से के मकान के दस लाख रूपये मांगने पर परिवादिनी को रूपये नहीं देने तथा अन्य अभियुक्तगण के साथ श्रीमति बिमला देवी द्वारा भी परिवादिनी को जान से मारने की धमकी देने का कथन किया है। परिवादिनी द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 एवं गवाह पी0डब्लू0–1 प्रदीप कुमार व पी0डब्लू0–2 नवनीश कुमार ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 में जनेश्वर, बिमला व प्रिया द्वारा परिवादिनी के घर में आने तथा परिवादिनी द्वारा सिविल वाद में हुई सुलह के अनुसार दस लाख रूपये मांगने पर भी परिवादिनी को रूपये नहीं देने और जान से मारने की धमकी देने का कथन किया है, किन्तु विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अवर न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण में श्रीमति बिमला देवी को तलब न किये जाने के सन्दर्भ में कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया गया है, जबकि विद्वान अवर न्यायालय से उक्त सन्दर्भ में अभिमत व्यक्त करते हुए, आदेश पारित किया जाना अपेक्षित था, परन्तु उनके द्वारा ऐसा न करके केवल अभियुक्तगण **प्रिया** एवं **जनेश्वर** को धारा 406, 506 भा0दं0सं0 के अपराध में विचारण हेतु तलब करके विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की गयी है।

13– उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि प्रश्नगत आदेश में विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि होने के कारण उक्त आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है। अतएव निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 28.02.2025 अपास्त करते हुए

पत्रावली इस निर्देश के साथ अवर न्यायालय प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह निर्णय निगरानी में दिये गये सम्प्रेक्षणो के आलोक में, निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को पुनः सुनकर विधि सम्मत आदेश पारित करे। आदेश की एक प्रति के साथ अवर न्यायालय की तलबिदा पत्रावली अविलम्ब वापस प्रेषित की जाये।

(सतेन्द्र कुमार)

दिनांक 12.03.2026 **सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।**

I.D. UP-1891

आज यह निर्णय, आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर सुनाया गया।

(सतेन्द्र कुमार)

दिनांक 12.03.2026 **सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।**

I.D. UP-1891